

16/2/26 पशुवली पेशी में ली गई।
 वक्ष उभयपक्ष प्रथम पत्र लुनी गई।
 सलेन वा पत्र 53 स्था के अन्तर्गत
 विभाजन का अनुलेख है। बाव पत्र
 व सलेन दस्तावेज प्रथम पत्र में
 शामिल फमावेली में अंकित वादी द्वारा
 बैंक त्रुटि प्राप्त कर लिया गया
 जबकि स्वयं होने के कारण
 प्रतिवादीगत Bank Loan से वैधित है
 इसलिख व्यापकित में स्वयं आदेश
 संशोधित कर, रक्ष बैंक पर अप्रतली
 किया जाता है तथा बैंक, अल्प पर
 वा- फसला Confirmation किया जाता है।
 स्वयं आदेश दिनांक 11.6.2025 बैंक

रूप प्राप्त करने पर प्रमाणी नहीं
होगा। पश्चात् निम्न शुमार कर
कविल कप्त (की फाली) को
आदेश सुनाया गया।

जि.
सहायक वरिष्ठ
एव उपबन्ध अधिकारी
कुमाना